झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ० एफ० पी० भवन धुर्वा, राँची।
email-transport.jhr@gmail.com

||आम सूचना ||

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक–20.02.2019 को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में बसों के वर्गीकरण हेतु वाहनस्वामियो को दिनांक–30.04.2019 तक का समय देने का निर्णय लिया गया था, जिसे कार्यालय के ज्ञापांक–744, दिनांक–02.05.2019 के द्वारा आम सूचना प्रकाशित कर उक्त कार्य हेतु अवधि को दिनांक–30.05.2019 तक विस्तारित किया गया था।

2. उक्त अवधि का विस्तार करते हुए बसों के वर्गीकरण हेतु वाहनस्वामियों को दिनांक–31.10.2019 तक का समय दिया जाता है।

3. उपरोक्त तिथि तक वाहनस्वामी स्वयं ही बस का वर्ग निर्धारित करते हुए कर जमा कर सकते हैं। जमा राशि एवं वास्तविक राशि में अंतर पाए जाने की स्थिति में अंतर राशि वसूलनीय होगा/समायोजित किया जाएगा।

माननीय विभागीय मंत्री के आदेश से।

Samuel 3.9.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03/परि.आ.–09/2019(खण्ड) 1555 /राँची, दिनांक– 03.09.2019

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/प्रेषण शाखा को सूचनापट्ट एवं वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

Samuel 3.9.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03/परि.आ.–09/2019(खण्ड) 1555 /राँची, दिनांक– 03.09.19

प्रतिलिपि– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकी, एन.आई.सी., झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त निर्णय के आलोक में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

Samuel 3.9.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

बसों के वर्गीकरण एवं नवीन ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किए जाने हेतु संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक–06.08.2019 को अपराहन–03:00 बजे वाहनस्वामियों एवं बस ऑनर्स एशोसिएशन के अध्यक्षों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

बसों के वर्गीकरण एवं नवीन ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किए जाने हेतु दिनांक–06.08.2019 को आहूत बैठक में वाहनस्वामियों एवं बस ऑनर्स ऐशोसिएशन के सदस्यों द्वारा वाहनों के वर्गीकरण में आ रही परेशानी तथा नवीन ग्रामीण मार्गों को चिन्हित करने हेतु प्राप्त सुझावों के आलोक में निम्न निर्णय लिये गये :–

- दिनांक–30.01.2019 के पूर्व निबंधित वाहनों का वर्गीकरण साधारण बस में किया गया है, जिसकी कुल बैठान क्षमता बस की Wheel base के आधार पर Calculate किया गया है। बस जो वास्तव में Semi-delux/ delux श्रेणी की है का वर्गीकरण कराने के क्रम में बस की बैठान क्षमता पूर्व की भांति (साधारण बस की तरह) ही रखते हुए किया जा रहा है, जबकि Delux/Semi-delux श्रेणी की बस की बैठान क्षमता कम होनी चाहिए।

  वाहनस्वामियो को बसों के वर्गीकरण में आ रही उक्त परेशानी के निराकरण हेतु सभी MVIs एवं NIC के साथ एक बैठक आहूत कर समस्या का निराकरण करने का निर्णय लिया गया।
- बसों के वर्गीकरण में आ रही उक्त परेशानी को ध्यान में रखते हुए बसों के वर्गीकरण हेतु वाहनस्वामियों द्वारा दिनांक–31.10.2019 तक का समय देने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त तिथि तक वाहनस्वामी स्वयं ही बस का वर्ग निर्धारित करते हुए कर जमा करेंगे।
- ग्रामीण बस सेवा हेतु वर्तमान समय तक निर्धारित/अधिसूचित मार्गों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय। साथ हीं, ग्रामीण मार्गों के निर्धारण हेतु प्रावधानित नियम की प्रति भी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय।

नवीन ग्रामीण मार्गों को अधिसूचित किये जाने के संदर्भ में बस ऑनर्स ऐशोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निदेश दिया गया कि पूर्व में अधिसूचित ग्रामीण मार्गों के अतिरिक्त नवीन मार्गों को चिन्हित कर आवेदन संबंधित RTA कार्यालय में समर्पित किया जाय, जिसके उपरांत RTA कार्यालयों से अनुशंसा प्राप्त होने के फलस्वरूप अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

Sd/- 8.8.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–03/परि०आ०–09/2019(खण्ड) 1384 / राँची, दिनांक– 08/08/2019

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 8.8.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–03 / परि०आ०–09 / 2019(खण्ड) 1384 / राँची, दिनांक– 08/08/2019

प्रतिलिपि–संबंधित सदस्यों / प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची